



F.1363/वि०प्र० कोटेशन/केवि ओएनजीसी दे०दून/2022-23

दिनांक: \_\_\_\_\_

सेवा में,

.....  
.....  
.....

**विषय: वर्ष 2022-23 के लिए टैक्सी/बस किराए पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्रीय वित्त पोषित स्वायत्त निकाय समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का प्रशासकीय योजना केन्द्र सरकार के हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए संगठन है।

१. अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्रीय विद्यालय ओ.एन.जी.सी. में **टैक्सी/बस को किराये पर लिए जाने हेतु** मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

२. **बोली कीमत:-**

- (क) केन्द्रीय विद्यालय ओ.एन.जी.सी. में वर्ष 2022-23 में विद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों व विभिन्न अवसरों हेतु **टैक्सी/बस को किराये पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रण की जा रही है**। उपरोक्त **टैक्सी/बस** में किसी भी प्रकार की उपभोग्य सामग्री नहीं है। बोलीदाता द्वारा विद्यालय में किराये पर लिये जाने हेतु **टैक्सी/बस** की दरें संलग्न प्रपत्र में भरकर अपनी फर्म के लैटर पैड के साथ संलग्न कर ही निविदा विद्यालय को भेजनी होगी।
- (ख) बोलीदाता द्वारा समस्त प्रकार के कर एवं व्यवसाय हेतु कर्तव्यों के निर्वाह में जो भी देय हों को सम्मिलित कर अपनी दरें देनी होंगी। विद्यालय द्वारा दी गई दरों के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ग) बोलीदाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष के लिए मान्य होंगी। बोलीदाता द्वारा दरें केवल भारतीय मुद्रा (रुपये) में ही अंकित करनी होंगी।
- (घ) एक बोलीदाता द्वारा केवल एक निविदा ही दी जायेगी टैलेक्स या नमूना निविदा स्वीकार नहीं है।
- (ङ) निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ रुपए 5000/- (पाँच हजार रुपये) का ड्राफ्ट बयाना राशि जो कि केन्द्रीय विद्यालय ओ.एन.जी.सी. के पक्ष में देय हों संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (च) बोलीदाता द्वारा अपने व्यवसाय के पंजीकरण, जी.एस.टी.(GST), आयकर पैन संख्या की छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक है।
- (छ) बोलीदाता द्वारा दी गई दरें विद्यालय में दी जाने वाली सेवा विद्यालय से लेजाने एवं वापिस लाने तक, समस्त खर्चों सहित होंगे एवं **निविदा एक वर्ष के लिए वैध होगी**।

३. **निविदा का मूल्यांकन:-** सेवा लेने वाले द्वारा निविदा का तुलनात्मक मूल्यांकन पर्याप्त निर्धारित प्रपत्रों, नियम एवं शर्तों की वाध्यता को पूर्ण करने, पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित, विनिर्देशित (Specification) सूची की पुष्टि होने पर मूल्यांकन किया जायेगा।

४. **सेवाओं का आपूर्ति आदेश:-**

- (क) सेवा लेने वाले द्वारा आपूर्ति आदेश उसी बोलीदाता को देने का निर्णय लिया जायेगा जिसकी निविदा निर्धारित प्रपत्र पर है, समस्त नियम एवं शर्तों पालन करती हों एवं कम से कम दरें निविदा प्रपत्र में अंकित की गई हैं।
- (ख) बोलीदाता जिसकी निविदा स्वीकार कर ली गई हो को निविदा की वैधता के समयावधि के दौरान आपूर्ति आदेश वैधता खत्म होने से पूर्व दिया जायेगा।
- (ग) आपूर्ति की अधिसूचना के निर्णय में यदि किसी इकाई की दरों और नियम एवं शर्तों में परिवर्तन है तो निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (घ) विद्यालय में दी गई सेवा के तीन माह पूर्ण होने पर भुगतान किया जायेगा निविदा दाता को अधिकार है।
- (ङ) समस्त उपरोक्त के बावजूद अधोहस्ताक्षरी को निविदा निरस्त करने व स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

(च) सेवा लेने वाले द्वारा आपूर्ति आदेश उसी बोलीदाता को देने का निर्णय लिया जायेगा जिसकी निविदा में टैक्सी/बस की दरों का योग सभी बोली दाताओं द्वारा दी गयी दरों का योग सबसे न्यूनतम होगा ।

(छ) बोलीदाता द्वारा संलग्न प्रपत्र में ही दरें दें फर्म की मोहर व हस्ताक्षर सहित ।

५.

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय:-

सभी निविदा दाताओं से निवेदन है कि निविदा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा लफाफे पर इस प्रकार लिखें टैक्सी/बस की किराये पर आपूर्ति हेतु निविदा। निविदा दिनांक 24.06.2022 तक सायं: 03:00 बजे तक स्वीकार की जायेंगी एवं उसी दिन सायं 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की तिथि छुट्टी होगी तो निविदायें अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय तक प्राप्त की जायेगी एवं निर्धारित समय पर खोली जायेंगी। जिस तिथि से अनुबंध किया जायेगा उस तिथि से एक वर्ष के लिए अनुबंध मान्य होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: विद्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी बोलीदाताओं से निविदायें प्राप्त की जायेंगी। सभी बोलीदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर होने अनिवार्य है, तत्पश्चात् फर्म के लेटरहेड पर संलग्न किया होना चाहिए।

संलग्नक:- प्रपत्र दरें देने हेतु निविदा प्रपत्र  
प्रपत्र अ व प्रपत्र ब

(डॉ. अंशुम शर्मा कलसी)  
प्राचार्या

संचाय / Principal  
केन्द्रीय विद्यालय, ओ.एन.जी.सी.  
Kendriya Vidyalaya, CNGC  
देहरादून / Dehradun



# KENDRIYA VIDYALAYA O.N.G.C.DEHRADUN

## TERM AND CONDITIONS FOR HIRING OF BUS/TAXI

- All vehicles to be provided must not be prior to year 2019 model or earlier. All vehicle shall be duly registered with transport authority as commercial/passenger vehicle and must be ensured as per Law.
2. Vehicle should carry portable fire extinguisher.
3. Vehicle must be cleaned both externally and internally
4. Availability of the vehicle must be along with medically fit drivers who hold valid Driving license.
5. The Vendor /Contractor has to be registered with the Tax Department and should submit a copy of GST Registration Certificate and PAN.
6. The contract for hiring of the vehicle/Buses/taxi will be initially for a period of one year.
7. The quoted rates are to be filled as per the proforma given.
8. The rates quoted shall be fixed and valid for one year, irrespective of any increase in fuel rates, other taxes etc during the contract period.
9. All repairs and maintenance, running costs, fuel, lubricants, salaries of drivers, taxes, etc.necessary for the running & maintenance of vehicle will be borne by the contractor.
10. Contractor would be responsible for the good conduct of the driver, cleaner and helpers etc.
11. Contractor shall obtain vehicle fitness certificate from Competent Authority, vehicle registration, Comprehensive Insurance, payment of road tax, inter-state permit, RTO tax, toll tax etc.
12. Driver should always carry all necessary documents like Registration papers, Insurance papers, Pollution under Control (PUC) clearance, RTO tax payment papers, valid driving license and all other Documents that should accompany vehicle as per rules & regulations of applicable laws.
13. Contractor shall ensure that the driver has valid driving license for commercial use.
14. In case of breakdown of any vehicle, the Contractor shall, within two hours provide another vehicle without any extra cost.
15. In case of any accident to the vehicle, it will be the responsibility of the contractor or his representative (drivers) to lodge FIR etc. with police. All RTO issues and Traffic violations are to be taken care by the contractor.
16. Toll tax, Parking charges will be borne by contractor.
17. Driver should be alert /careful enough to take care of items/material kept in the vehicles.
18. All quoted rates should be inclusive of all charges and GST etc.

SIGNATURE OF BIDDER  
(with seal of firm)

NAME OF BIDDER  
PALCE  
DATE

**KENDRIYA VIDYALAYA ONGC DEHRADUN**

**HIRING OF BUSES/TAXI AS AND WHEN REQUIRED (ALL INCLUSIVE RATES FOR ACS & NON AC VEHICLE/ DRIVER+FUEL+ALL TAXES/TOLL TAX etc.**

S.No	Name of the Vehicle & Seater. वाहन का प्रकार व सीटर	विद्यालय से 20 किलोमीटर तक/प्रतिदिन सभी कर सहित From Vidyalaya to within 20 km per day inclusive all taxes.	विद्यालय से 20-40 किलोमीटर तक/प्रतिदिन सभी कर सहित From Vidyalaya to within 20-40 km per day inclusive all taxes.	विद्यालय से 40-60 किलोमीटर तक/प्रतिदिन सभी कर सहित From Vidyalaya to within 40-60 km per day inclusive all taxes.	विद्यालय से 60-80 किलोमीटर तक/प्रतिदिन सभी कर सहित From Vidyalaya to within 60-80 km per day inclusive all taxes.	विद्यालय से 80-100 किलोमीटर तक/ प्रतिदिन सभी कर सहित From Vidyalaya to within 80-100 km per day inclusive all taxes.	विद्यालय से 200-250 किलोमीटर तक /प्रतिदिन सभी कर/खर्चों सहित (अंतर्राज्य) From Vidyalaya to within 200-250 km per day inclusive all taxes/charges (Interstate)	रात्री विश्राम दर Night Halt Charges in case of out station.
1.	Maruti Swift Dzier AC							
2.	Maruti Swift Dzier Non AC							
3.	Toyota innova AC							
4.	Toyota innova Non AC							
5.	Tempo Traveller 12 seater AC							
6.	Tempo Traveller 12 seater Non AC							
7.	Tempo 17 seater AC							
8.	Tempo 17 seater Non AC							
9.	Bus 26 seater/AC							
10.	Bus 26 seater/ Non AC							
11.	Bus 32 seater/AC							
12.	Bus 32 seater /Non AC							
13.	Bus 42 seater/AC							
14.	Bus 42 seater /Non AC							
15.	Bus 48 seater/AC							
16.	Bus 48 seater /Non AC							

Signature of Proprietor & Stamp